

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Phone / Fax No-01372252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:- 3547/12-1 गोपेश्वर, दिनांक 27-2-2021

सेवा में,

निदेशक/ वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

विषय:- कर्णप्रयाग नोटी -पैठाणी मोटर मार्ग से देवलधानई तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.94 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 1582/12-1 दिनांक 12-02-2021
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत करना है कि मोटर मार्ग की लम्बाई एवं वृक्षों की संख्या को न्यून करने हेतु दिनांक 06-02-2021 को वन विभाग, लो०नि०वि० के प्रतिनिधि तथा जन प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया संयुक्त निरीक्षण के समय ग्राम धानई के ग्रामीणों द्वारा धोर विरोध किया गया तथा संयुक्त निरीक्षण रोक दिया गया। ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि जहाँ से संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है वह ग्राम सभा बैनोली के अन्तर्गत है, जिनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा, जिस कारण मोटर मार्ग अधर में लटक जायेगा, ग्रामीणों द्वारा पूर्व में किये गये संरक्षण में ही निर्माण कार्य किये जाने का अनुरोध किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गौचर के पत्रांक 346/1 सी वन दिनांक 22-02-2021 एवं संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रतः कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,



(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या / दिनांकित

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गौचर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

पत्रांक-346/1सी0 (वन)

दिनांक 22 / 02 / 2021

सेवा में,

उपवन संरक्षक
कैदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- मा0मु0घो0 सं0 1471/2015 मे राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवल से धानई तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.910 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 हे0 कुल 0.940 हे0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव। (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/38601/2019)

सन्दर्भ:- निदेशक/वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर का पत्रांक संख्या- 1582/12-1 दिनांक 12.01.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि निदेशक/वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर द्वारा मोटर मार्ग का पुनः सुयुक्त निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में दिनांक 06.2.2021 को देवल से धानई तक मोटर मार्ग का वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण प्रारम्भ किया गया है। संयुक्त निरीक्षण करते ही ग्राम धानई के ग्रामीणों द्वारा घोर विवाद किया गया तथा संयुक्त निरीक्षण रोक दिया गया। ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि जहाँ से संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है वह ग्राम सभा बैनोली के अन्तर्गत है। जिनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा। जिस कारण मोटर मार्ग अधर में लटक जायेगा तथा ग्रामीणों द्वारा पूर्व में किये गये सर्वे पर ही मोटर मार्ग बनाने हेतु अनुरोध किया गया।

अतः महोदय से अनुरोध है कि इसी सर्वे पर मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रकरण को अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्न- संयुक्त निरीक्षण आख्या।

मूल में।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0

गौचर (चमोली)

22/02/21

पत्रांक-

/ 1 सी0 वन

तददिनांक

प्रतिलिपि- निदेशक/वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर के पत्रांक संख्या- 1582/12-1 दिनांक 12.1.2021 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता प्रथम निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0

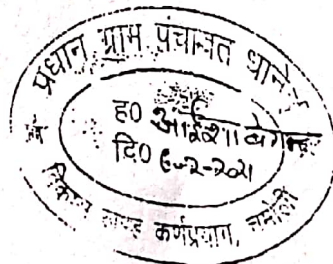
गौचर (चमोली)

संयुक्त निरीक्षण आख्या

निदेशक / वन संरक्षक नन्दा देवी बायो रिजर्व, गौरीगढ़ के पत्रांक संख्या - 1582/12-1 दि० 12-1-2021 के अनुपालन में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 147/2015 में राज्य योजना के अंतर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में देवत से दौरे तह जोयर मर्ग का आज दि० 06-2-2021 को वन विभाग तथा लो० नि० वि० गौरीगढ़ द्वारा संयुक्त निरीक्षण हेतु कार्य स्थल पर उपस्थित हुआ गया। संयुक्त निरीक्षण को प्रारंभ करते ही ग्राम दान्द के ग्राजीवो द्वारा घोर विवाद किया गया, तथा संयुक्त निरीक्षण को रोक दिया गया, उनसे द्वारा अवगत कराया गया कि जहाँ से संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है, वह ग्राम सभा क्षेत्री है, जिनके द्वारा अनान्यता प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा, जिस कारण यह जोयर मर्ग अर्ध में लटक जा रहा, तथा ग्राजीवो द्वारा पूर्व में किसे गैर ही सर्वे पर जोयर मर्ग बनाने हेतु अग्रोध किया गया।

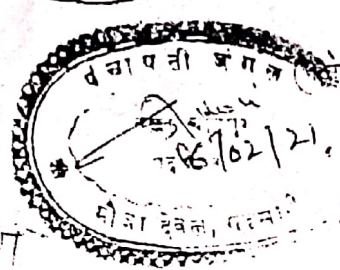
संयुक्त निरीक्षण में लो० नि० वि० के सहायक अभियंता, ड० अभियंता कुमार पंडित, अपर सहायक अभियंता, ड० प्रतीक अग्रवाल व अन्य स्टाफ तथा वन विभाग की तरफ से वन अधिकारी धनपुर रेंज गौरीगढ़ श्री पंकज ध्यानी, वन दोगा श्री विजेन्द्र सिंह कौटेल, वनवीर अधिकारी श्री गोपाल सिंह खेहरा, उपस्थित रहे।

(श्री पंकज ध्यानी)
वन दोगा अधिकारी
धनपुर रेंज गौरीगढ़



(ड० अभियंता कुमार पंडित)
मुख्य अभियंता
निर्वाहक निरीक्षक गौरीगढ़

(श्री विजेन्द्र सिंह कौटेल)
वन दोगा, धनपुर रेंज गौरीगढ़



(श्री गोपाल सिंह खेहरा)
वन वीर अधिकारी
नन्दा देवी बायो रिजर्व, गौरीगढ़